

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 459/आउशि/नि.का/08
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04.12.2008

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. अतिरिक्त संचालक,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य,
समस्त शा0 महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय:—सेमेस्टर पद्धती के अंतर्गत पढ़ाये जाने वाले विषयों के मूल्यांकन के संबंध में।

—:0:—

लगातार 06 माह तक प्रशिक्षण देने एवं प्रति सप्ताह बात-चीत करने के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय प्राचार्य इस व्यवस्था से अभी पूर्णतः परिचित नहीं हैं और उनके महाविद्यालय में इन परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक सैल का गठन नहीं किया गया है।

सम्पूर्ण निर्देशों को दुबारा दोहराने के बाद भी गलती होने से मैं यह समझता हूँ कि कतिपय प्रमुख बिन्दुओं को आपको ज्ञात करवा दूँ, जिससे सेमेस्टर पद्धती की परीक्षा में कोई परेशानी न हो—

1— राज्य शासन के द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की बैठक लेकर 20 विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिये गये थे, किन्तु इसके बाद भी अनेक ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनका अध्ययन मण्डल के द्वारा छात्रों की कम संख्या होने के कारण पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है। विशेषतः माइक्रोबॉयलाजी, बायोटेक्नालॉजी इत्यादि का पाठ्यक्रम केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के द्वारा उपस्थित छात्रों के मानसिक स्तर एवं महाविद्यालय में उपलब्ध अधोसंरचना के लिए छोड़ा था।

यह कार्य विश्वविद्यालय के अध्ययन मण्डल के द्वारा पूर्ण किया जाना था। मुझे कतिपय महाविद्यालयों से यह सूचना मिल रही है कि अभी भी यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों का निर्धारण दिनांक 15 दिसंबर 2008 तक कर लिया जाए और उसकी एक प्रति कुलपति एवं कुलसचिव के हस्ताक्षर से प्रमाणित कर इस कार्यालय को भेजी जाए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाए कि पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा गठित पाठ्यक्रम के अनुकूल हो, ताकि राष्ट्रीय

स्तर की परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए विद्यार्थियों को पृथक से पढ़ाई न करनी पड़े।

2— सेमेस्टर पद्धती प्रारंभ होते ही यह निर्देश दिये गये थे कि पाठ्यक्रम में समय कम होने के कारण परीक्षाओं का समय कम से कम रखा जाए ताकि सभी परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर जनवरी माह में परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके। वर्तमान में यह निर्णय लिया गया है कि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 27.01.09 से प्रारंभ होंगी।

हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को इन दोनों सेमेस्टर की पुस्तकें तैयार करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं और उनके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय दोनों सेमेस्टर पाठ्यक्रम की पुस्तकें एक साथ तैयार की जा रही हैं। अतः यदि कहीं पुस्तकों की कमी हो तो जनवरी माह के अंत तक इसे आयुक्त अथवा अतिरिक्त संचालक डा० प्रभा वर्मा के ध्यान में लाकर इसकी पूर्ति की जाए।

3— कतिपय महाविद्यालयों से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को प्रवेश दे दिया जाए अथवा यदि विद्यार्थी किसी अपरिहार्य कारण से किसी एक आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थित नहीं हो सका तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए ? इस संबंध में नियम बहुत स्पष्ट हैं कि यदि समय बचता है तो अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर संबंधित विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन कर दिया जाए। एन.सी.सी./एन.एस.एस. एवं क्रीड़ा शिविरों में महाविद्यालय, राज्य एवं राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रथक से परीक्षा आयोजित की जाना ही होगी। अतः इन अतिरिक्त परीक्षाओं में अन्य अपरिहार्य कारणों से छूटे हुए विद्यार्थियों को भी सम्मिलित कर लिया जाए।

यदि इसके बाद भी विद्यार्थी दूसरी बार आंतरिक परीक्षा में भाग लेने में असमर्थ है तो फिर उसे प्रथम आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंक एवं प्रोजेक्ट के अंकों के औसत से अंक प्रदाय किये जाएं।


कतिपय महाविद्यालयों से यह शिकायत भी प्राप्त हो रही है कि वे स्वशासी महाविद्यालय होने के कारण शासन का कोई भी आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राज्य के उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों के लिए एकजाई अकादमिक कैलेण्डर महामहिम कुलाधिपति जी के द्वारा तय किया जाता है और ऐसी स्थिति में स्वशासी होने के मतलब यह नहीं है कि आप मनमाने ढंग से महामहिम कुलाधिपति जी के द्वारा जारी कैलेण्डर को तोड़-मरोड़ कर परीक्षा सम्पन्न करायें तथा उनके द्वारा निर्धारित दिवस के पश्चात परीक्षाफल घोषित करें।

यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्वायत्ता का उद्देश्य अकादमिक स्वायत्ता थी न की वित्तीय और प्रशासनिक। अकादमिक स्वायत्ता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित एवं राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत किये गये पाठ्यक्रम में अधिकतम 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का अधिकार स्वशासी महाविद्यालयों को है, इसको छोड़कर प्रवेश की परीक्षा की तिथि, परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि एवं नवीन कक्षाओं के प्रारंभ होने की तिथि महामहिम कुलाधिपति जी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही तय होगी।

और यदि किसी भी स्वशासी महाविद्यालय के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया तो उस महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित रह जायेंगे और उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय होगा।

महामहिम कुलाधिपति महोदय के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप समस्त महाविद्यालयों में एकजाई परीक्षा कार्यक्रम 15 दिसम्बर 2008 से प्रथम सेमेस्टर के लिए शुरू किया गया है। अतः समस्त स्वशासी महाविद्यालय अपना पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का कार्यक्रम इस तरह बनायें कि महामहिम के द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम अथवा क्रीड़ा गति-विधियों से उनके महाविद्यालयों को वंचित न रहना पड़े।


कतिपय स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के द्वारा बैठक में यह कहा गया था कि हम सेमेस्टर पद्धती को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि हम स्वशासी महाविद्यालय हैं, जिसका अपना विधान हम खुद तय करते हैं। ऐसे समस्त प्राचार्यों से मेरा निवेदन है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के द्वारा समय पर परीक्षा लेने के कार्यक्रम के बाद उनके महाविद्यालय से परीक्षा परिणाम प्राप्त होता है तो उसका राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी और उन बच्चों को उस वर्ष जीरो ईयर घोषित किया जायेगा। अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षाफल जारी करने की तिथियों का कड़ाई से पालन हो।


(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ० क्रमांक 460/आउशि/नि.का/08
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 04.12.2008

- 1- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2- महामहिम के सचिव, राजभवन मध्यप्रदेश।


आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश